धर्मार्थ कार्य विभाग की स्थापना का उद्देश्य

4- ख(1) अपने संगठन की विशिष्टियॉ, कृत्य और धर्मार्थ कार्य विभाग विभाग में व्यवहरित कर्तव्य। होने वाले कार्य निम्नवत् हैः-

(1) धर्मार्थ सन्दान अधिनियम 1890
(2) उ0 प्र0 श्री काशी विश्वनाथ
मंदिर अधिनियम 1983
(3) मन्दिरों एवं धार्मिक संस्थाओं की
व्यवस्था।
(4) धर्मार्थ संस्थाओं को अनुदान। (5) विलीनीकृत राज्यों के मन्दिरों की व्यवस्था एवं नियन्त्रण तथा
अनुदान।
(6) विभागीय आय-व्ययक, अनुदान व्यवस्था तथा लेखा एवं लोक
लेखा आपत्तियॉ।
(7) प्रदेश के समस्त धार्मिक मन्दिरों एवं संस्थाओं से सम्बन्धित
शिकायतों आदि की जॉच व
उनका निस्तारण।
(8) प्रदेश में विद्यमान लोक महत्व के
तीर्थ स्थलों पर स्थित मन्दिरों
आदि के अधिग्रहण सम्बन्धी
विधिक कार्यवाही।

(2) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ और सचिवालय मैनुअल में दी गई
कर्तव्य। व्यवस्थाओं के अनुरूप।

(3) विनिश्चिय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली सचिवालय मैनुअल में दी गई
प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तर दायित्व के माध्यम व्यवस्थाओं के अनुरूप।
सम्मिलित हैं।

(4) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित सचिवालय मैनुअल में दी गई
मापमान। व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्मिक
कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।

Uttar Pradesh Dharmarth Karya Vibhag

(5) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या सचिवालय मैनुअल और मैनुअल
अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन आफ गर्वनमेन्ट आर्डस ।
के लिये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और
अभिलेख।

(6) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उ0प्र0श्री काशी विश्वनाथ मंदिर
उसके नियंत्रणाधीन हैं प्रवर्गो का विवरण। अधिनियम 1983 (संलग्नक-2)

(7) किसी व्यवस्था की विशिष्टियॉ जो उसकी नीति आवश्यकतानुसार धर्मार्थ कार्य
की संरचना या उसक कार्यान्वयन के संबंध में विभाग द्वारा विधिक, वित्तीय,
जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके योजना एवं कार्मिकों से संबंधित
द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं। बिन्दुओं पर क्रमशः न्याय वित्त
एवं नियोजनएवं कार्मिक विभाग
का परामर्श प्राप्त किया जाता है।
इसके अतिरिक्त विभाग के श्री
काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास
परिषद में दोऐसे स्थानीय
प्रतिष्ठित व्ययक्तियों जो मन्दिर
के कार्यकलापों के प्रबन्ध एवं
प्रशासन का और उसमें की जानी
वाली पूजा, सेवा, कर्मकाण्डया
धार्मिक अनुष्ठान का अच्छा ज्ञान
व अनुभव रखते हों, को राज्य
सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया
जाता हैये समस्त माहानुभाव
जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं
और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर
के शासन व प्रशासन व नीति
संरचना और उसके कार्यान्वयन
के सम्बन्ध मेंयोगदान करते है।
हिन्दू धर्मशास्त्र में निष्णार्थ तीन

प्रख्यात हिन्दू विद्वानों को भी

उक्त न्यास परिषद में नाम

निर्दिष्ट किया जाता है जिनकी

मन्दिर के शासन व प्रशासन की

नीतियों के क्रियान्वयन आदि में

महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

RTI Act 2005 – Proactive Disclsoures June 5, 2006 Page - 2

न्जजंत च्तंकमेी क्ींतउंतजी ज्ञंतलं टपइींह (8) ऐसे बोर्डो परिषदों, समितियों और अन्य निकायों संलग्नक-1 के प्रस्तर 8 के के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके अनुसार ।
भाग रूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन
के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि
क्या उन बोर्डो, परिषदों, समितियों और अन्य
निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या
ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुॅच होगी,
विवरणः-

(9) अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिकाः-

क्रम सं0 अधिकारी का नाम व पदनाम कार्यालय का पता दूरभाष संख्या 1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

प्रमुख सचिव
सचिव
विशेष सचिव
संयुक्त सचिव
अनुभाग
अधिकारी।
समीक्षा अधिकारी
समीक्षा अधिकारी
समीक्षा अधिकारी
समीक्षा अधिकारी
सहायक समीक्षा
अधिकारी
Vadd

1 सचिव भवन, सचिवालय,
लखनऊ।
बापू भवन, लखनऊ।
बहुखण्डी भवन, लखनऊ।
बापू भवन, लखनऊ।
32 नवीन भवन, लखनऊ।
32 नवीन भवन, लखनऊ।
32 नवीन भवन, लखनऊ।
32 नवीन भवन, लखनऊ।
32 नवीन भवन, लखनऊ।
32 नवीन भवन, लखनऊ।
32 नवीन भवन, लखनऊ।

सी0एच 3164
सी0एच 4783
सी0एच 3135
सी0एच0 4513
सी0एच 3852
सी0एच 3852
सी0एच 3852
सी0एच 3852
सी0एच 3852
सी0एच 3852
सी0एच 3852

RTI Act 2005 – Proactive Disclsoures June 5, 2006 Page - 3

Uttar Pradesh Dharmarth Karya Vibhag

(10) अपने प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी
द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें
उसके विनियमों में यथाउपबन्धित
प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो।

(11) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये धर्मार्थ कार्य विभाग के नियंत्रणाधीन कोई
गये संवितरणों पर रिर्पोर्टो की विशिष्टियॉ अभिकरण/योजना संचालित नहीं है और
उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण न ही इसके अधीन कोई अभिकरण है
को आवंटित बजट। जिसको कोई बजट आवंटित होता है।
मात्र आयोजनेत्तर पक्ष ने सामान्य प्रशासन
विभाग के नियन्त्रणाधीन अनुदान संख्याः
84 के तहत विलीनीकृत रियासतों के
धार्मिक संस्थाओं के पुजारियों को वर्ष
2006-07 में निम्नलिखित जनपदों हेतु
निम्नानुसार अनुदान स्वीकृत किया गया है:-
जनपद हमीरपुर - 810 रू0
झांसी 3,546
चित्रकूट 900
जालौन 828
वाराणसी 360
महोबा 9,533
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

15]977

RTI Act 2005 – Proactive Disclsoures June 5, 2006 Page - 4

Uttar Pradesh Dharmarth Karya Vibhag &&&&&&&&&&&&&&&&&&&

(12) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति सूचना शून्य है। जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों
फायदाग्राहियों के व्योरे सम्मिलित हैं।
(13) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों सूचना शून्य है।
या प्राधिकारों के प्रप्तिकर्ताओं की विशिष्टियॉ।
(14) किसी इलेक्ट्रनिक रूप में सूचना के संबंध एन0 आई0 सी0 की वेबसाइट
में व्योरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके पर अपेक्षित सूचनाएं उपलब्ध हैं।
द्वारा धारित हों । जन सूचना अधिकारी का विवरण
नाम, पता आदि प्रकाशित
(15) सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों सहायक जन सूचना अधिकारी/
को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉ। जन सूचना अधिकारी के कार्या-
जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या लय में कार्यालय समय के दौरान
वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिये नियमानुसार सूचनायें प्राप्त करने
अनुरक्षित है तो कार्य करण घण्टे सम्मिलित की सुविधा उपलब्ध है। उपरोक्त
हैं। अधिकारियों का विवरण निम्नवत्
है।

सचिव भवन, सचिवालय,
लखनऊ।
दूरभाष-0522-2238001-15
सी0एच0-3164

श्री जय प्रकाश मिश्र,
राज्य जन सूचना अधिकारी,
विशेष सचिव,धर्मार्थ कार्य विभाग,
बहुखण्डी भवन, सचिवालय,
लखनऊ।
0522&2238001&15

सी0एच-3135

श्री दया शंकर पाठक,
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
राज्य सहायक जन सूचना
अधिकारी,

RTI Act 2005 – Proactive Disclsoures June 5, 2006 Page - 5

Jh dk'kh fo'oukFk efUnj U;kl
okjk.klhA
njHkk"k&0542&2390550

<u>संलग्नक–1</u>

सूचना का अधिकार विधेयक 2005 की धारा–4 (ब) के अन्तर्गत
सूचनाओं का प्रेषण

4 (ख	सूचना का अधिकार विधेयक 2005 के प्रस्तर	टिप्पणी
(1)	अपने संगठन की विशिष्टियॉ, कृत्य और कृत्य और कर्तव्य ।	श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983, दिनांक 28 जनवरी 1983 से लागू है । उक्त न्यास की विशिष्टियॉं, कृत्य एवं कर्तव्य श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियत 1983 में विहित किए गये हैं जो निम्न प्रकार हैं :– 1– यह अधिनियम उ0प्र0 श्री काषी विष्वनाथ मंदिर अधियिम, 1983 कहा जायेगा । 2– यह 28 जनवरी, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा । 3– इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि या प्रथ या रुढ़ि संविदा, विलेख या प्रलेख, किसी न्यायालय के निर्णय, डिग्री या आदेश या किसी न्यायालय द्वारा निश्चित की गयी किसी स्कीम में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे । 4– कोई व्यक्ति, जब तक वह हिन्दू धर्मवलम्बी न हो, न्यास परिषद् या

कार्यपालक समिति के सदस्य या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मंदिर के किसी कर्मचारी के रुप में होने या रहने के लिए पात्र नहीं होगा ।

(2) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्त्तव्य ।

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम 1983 की धारा–16(1) अनुसार कार्यरत है । मुख्य कार्यपालक अधिकारी के शक्ति और कर्तव्य अधिनियम की धारा –17(1) (2) के अनुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी न्यास परिषद् के अधीन रहते हुए, मंदिर के एहिक कार्य और उसके विन्यास के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी है । वर्तमान में मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दयाराम त्रिपाठी हैं । इसके अतिरिक्त अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी शासन द्वारा नियुक्त हैं । मंदिर में वर्तमान में 6 सहायक, 21 अर्चक, 9 सेवादार, 2 भण्डारी, 1 चालक, 2 चपरासी कार्यरत हैं । इसमें कार्यालय के कर्मचारी अधिनियम की धारा–21 (1) (2) (3) के अन्तर्गत तथा अर्चक एवं सेवादार / भण्डारी अधिनियम की धारा–22 –(1) एवं (2) के अन्तर्गत कार्यरत है ।

(3) विनिश्चिय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षक और उत्तरदायित्व के माध्यम से सम्मिलित है।

उ0 प्र0 श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 के अनुसार विनिश्चिय करने हेतु न्यास

परिषद

अधिकृत है तथा अनुपालन

सुनिश्चित

करने के लिये गठित

कार्यपालक

समिति एवं मुख्य

कार्यपालक

अधिकारी उत्तरदायी

हैं।

(4) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान ।

मंदिर के समस्त कृत्य उ0प्र0 श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम संख्या–29 सन् 1983 में संचालित होते हैं

।

जिसके अन्तर्गत अधिनियम

की

धारा–6(1) नियत दिनांक से

मंदिर और

उसके विन्यास का

शासन और प्रशासन

न्यास परिषद्

में निहित होगा, जिसे श्री

काशी

विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद् कहा जायगा ।

अधिनियम की धारा–6(2) अध्यक्ष के अतिरिक्त 14 सदस्य होंगे, जिसमें 9 सदस्य पदेन एवं 5 सदस्य जनप्रतिनिधि के रुप में उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा नामित किए जायेंगे ।

न्यास परिषद् के अधीन अधिनियम की धारा–19 के अन्तर्गत एक कार्यपालक समिति है । धारा–19 (1) एक कार्यपालक समिति होगी जो न्यास परिषद् या राज्य सरकार के निर्देशों के अधीन रहते हुए मंदिर के कार्यों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होगी । इस समिति में अध्यक्ष सहित 5 पदेन सदस्य होंगे और 2 जनप्रतिनिधि के सदस्य जैसा कि न्यास परिषद् में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्यों में से होंगे । मंदिर के कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान उक्त अधिनियम बोर्ड के नियमों के अनुपालन हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, 6 कार्यालय सहायक कार्यरत हैं । इसके अतिरिक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुबन्ध पर 21 अर्चक, 9 सेवादार, 2 भण्डारी, 2 चपरासी व एक वाहन चालक कार्यरत है ।

(5) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनिमय, अनुदेश निर्देशिका और अभिलेख ।

उ0 प्र0 श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम 1983 की धारा–17 (1) के अनुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी मंदिर का प्रमुख कार्यपालक अधिकारी होगा और न्यास परिषद् के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, मंदिर के एहिक कार्य और उसके विन्यास के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी होगा ।

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम की धारा–.20(1) के अनुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी यथाशीध्र एक अनुसुची तैयार करेगा, जिसमें मंदिर के अधिष्ठान में सम्मिलित व्यक्तियों के पदनाम कोटिकम और कर्त्तव्य का उल्लेख होगा ।

20(2) की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुसूची को तैयार करते समय मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी हित की, जिसका दावा कोई व्यक्ति करे, प्रकृति के सम्बन्ध में न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को या मंदिर सम्बन्ध किसी प्रथा या रुढ़ि को मान्यता देगा और कार्यान्वित करेगा ।

उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुसूची उन प्रस्तावों सहित जो अनुसूचि में विर्निदिष्ट व्यक्तियों को देय वेतन या भत्तों के बारे में मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा रखे जाय, न्यास परिषद् को प्रस्तुत किये जायेगें और ऐसी अनुसूची न्यास परिषद द्वारा उसमें किये गये किसी परिवर्तन या उपान्तर के अधीन रहते हुए अनुमोदित किये जाने पर प्रवृत्त होगी और ऐसे व्यक्ति सेवाजयोजन की ऐसी शर्तों के हकदार होंगे जो विहित किए जाय ।

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम की धारा–21 (1) इस निमित्त बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, न्यास परिषद् या यथास्थित मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे कर्मचारियों को ऐसे पदनाम सहित जैसा विहित किया जाय नियुक्त कर सकता है और उनको ऐसी शक्ति और ऐसे कृत्य सौंप सकता है जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे जाय ।

धारा–.21(2) कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्ते के हकदार होंगे और वे ऐसी सेवा शर्तों से जिनमें अर्हता और भर्ती की प्रणाली की शर्तें भी सम्मिलित है, नियंत्रित होंगे जैसी विहित की जाए।

धारा 21(3) कोई कर्मचारी सेवा से तब तक नहीं हटाया जायगा जब तक उसे सुनवाई का युक्ति संगत अवसर न दिया गया हो ।

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम की धारा–.22 (1) मंदिर के सम्बद्व या उससे सेवारत प्रत्येक अर्चक मंदिर में पूजा, सेवा, कर्मकाण्ड, समारोह और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए और उससे सम्बन्द्व अन्य सामान्य या विशेष दैनिक या साविधिक सेवा के उचित

	सम्पादन और संचाल के लिए उत्तरदायी होगा और न्यास परिषद् या कार्यपालक समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मंदिर का कोई अन्य कर्मचारी अर्चक के तदेव कर्त्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप नहीं करेगा । धारा–22(2) अर्चक अपनी सेवाओं के लिए ऐसे पारिश्रमिक का हकदार होगा जो उसके और न्यास परिषद् के बीच अनुबन्धित हो, और ऐसे अनुबन्ध के अभाव में इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित हो और किसी अन्य परिदेय या परिलब्धि का हकदार नहीं होगा सिवाय उसके जो इस अधिनियम के द्वारा अधीन अनुज्ञात हो ।
(6) ऐसे दस्तावेज के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, प्रवर्गों का विवरण ।	श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम की धारा–26 न्यास परिषद् नियमित लेखा ऐसे प्रपत्र में जिसे राज्य सरकार अनुमोदित करें और ऐसे विवरण सहित, जो विहित किया जाय, रखवाएंगी । क्रमांक — विवरण 1. रोकड़ बही 2. बहीखाता 3. बैंक स्टेटमेण्ट 4. तुलनपत्र <u>कार्यालयी अभिलेख</u> 1. न्यास परिषद् की बैठक का कार्यवृत। 2. कार्यपालक समिति की बैठक का कार्यवृत । 3. सम्पत्ति पंजिका 4. डेड स्टाक रजिस्टर 5. कन्यूम स्टाक रजिस्टर 6. बहुमूल्य चढ़ावा (सोना–चॉदी) 7. व्ययक (बजट) के सभी मदों की पत्रावलियॉ ।

(7) किसी व्यवस्था की विशिष्टियॉ जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों की परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान है ।	आवश्यकतानुसार धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा विधिक, योजना, वित्तीय, कार्मिकों से संबंधित बिन्दुओं पर क्रमशः न्याय, नियोजन, वित्त व कार्मिका विभाग का परामर्श प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभाग के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद में दो ऐसे स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों जो मंदिर के कार्य कलापों के प्रबंधन एवं प्रशासन का तथा उसमें की जानी वाली पूजा, सेवा, कर्मकाण्ड या धार्मिक अनुष्ठान का अच्छा ज्ञान व अनुभव रखते हों को राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्टि किया जाता है। यह समस्त महानुभाव जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के शासन, प्रशासन व नीति संरचना और उसके कार्यान्वयन के संबंध में योगदान करते हैं।
(8) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरुप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुॅच होगी, विवरण।	श्री काशी विश्वनाथम मंदिर अधिनियम 1983 की धारा–6(1) के अनुसार न्यास परिषद् में कुल 15 सदस्य हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है :– 1– श्री सी0एन0दुबे, आयुक्त एवं अध्यक्ष 2– जगद्गुरू शंकराचार्य, श्रृगेरी 3– सचिव, उ0 प्र0 सरकार, सांस्कृतिक कार्य विभाग (पदेन) 4– सचिव, उ0 प्र0 सरकार, वित्त विभाग (पदेन) 5– सचिव, उ0प्र0 सरकार, धर्मार्थ कार्य विभाग (पदेन) 6– सचिव, उ0प्र0 सरकार, न्याय विधायी विभाग (पदेन) 7– आयुक्त वाराणसी मण्डल, वाराणसी (पदेन) 8– जिलाधिकारी, वाराणसी (पदेन) 9– कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत वि0 वि0, वाराणसी (पदेन) 10–सुश्री सुनन्दा प्रसाद, प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 शासन (शासन द्वारा नामित सदस्य)

11– डा0 चन्द्रमौलि उपाध्याय, न्यासी (शासन द्वारा नामित सदस्य)

12– कुंवर अनन्त नारायण सिंह, न्यासी (शासन द्वारा नामित सदस्य)

13– डा0 हरिहर कृपालु त्रिपाठी, न्यासी (शासन द्वारा नामित सदस्य)

14–मुख्यकार्यपालक अधिकारी/सचिव/सदस्य श्री काशी विश्वनाथ मंदिर (पदेन)

15– रिक्त

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम, 1983 की धारा–19(1) के अनुसार कार्यपालक समिति में कुल 9 सदस्य है, जिनका विवरण निम्नवत् है:–

1– आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी (पदेन)

2– जिलाधिकारी, वाराणसी (पदेन)

3– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी (पदेन)

4–मुख्य नगर अधिकारी, वाराणसी(पदेन)

5– डॉ चन्द्रमौलि उपाध्याय, न्यासी (शासन द्वारा नामित सदस्य)

6– डॉ देवी प्रसाद द्विवेदी (सहयोजित सदसय)

7– आचार्य सीताराम शास्त्री (सहयोजित सदस्य)

8– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर।

9– रिक्त

(9) अपने अधिकारियों ओर कर्मचारियों की निर्देशिका ।

क. नाम	पदनाम
1.डॉ0दयाराम त्रिपाठी	मुख्य कार्यपलाक अधिकारी
2.श्री दयाशंकर पाठक	अ0मु0कार्यपालक अधिकारी

3.श्री शम्भु शरण पाण्डेय	सहायक लेखाधिकारी
4.श्री महावीर प्रसाद सिंह	सहायक
5.श्री प्रभाशंकर राय	सहायक
6.श्री जयन्त विनायक परान्जपे	सहायक
7.श्री दिनेश प्रसाद पाण्डेय	सहायक
8.श्री अरुण कुमार मिश्र	सहायक
9.श्री संजय कुमार चतुर्वेदी	सहायक
10.श्री वंशनारायण चौबे	अर्चक
11. श्री मदन मोहन त्रिपाठी	अर्चक
12. श्री नर्वदेश्वर पाण्डेय	अर्चक
13. श्री रामाश्रय उपाध्याय	अर्चक
14. श्री सत्यनारायण चौबे	अर्चक
15. श्री छोटक चौबे	अर्चक
16. श्री रामरुचि त्रिपाठी	अर्चक
17. श्री श्यामनाराण त्रिपाठी	अर्चक
18. श्री मधुकान्त झाा	अर्चक
19. श्री गनपत झा	अर्चक
20. श्री चिरंजीव झा	अर्चक
21. श्री पुरुषोत्तम पाण्डेय	अर्चक
22. श्री कमलाकान्त पाण्डेय	अर्चक
23. श्री श्रीकान्त मिश्र	अर्चक
24. श्री टेकनाराण उपाध्याय	अर्चक
25. श्री ओमप्रकाश मिश्र	अर्चक
26. डॉ0 श्रीदेव मिश्र	अर्चक
27. श्री संजय कुमार पाण्डेय	अर्चक
28. श्री नीरज दुबे	अर्चक
29. श्री राजेश पाठक	अर्चक
30. श्री नीरज कुमार पाण्डेय	अर्चक
31. श्री रामानन्द मिश्र	भण्डारी
32. श्री ईश्वरदेव मिश्र	भण्डारी
33. श्री अशोक चौबे	सेवादार
34. श्री अशोक पाण्डेय	सेवादार
35. श्री हरेराम झाा	सेवादार
36. श्री नटराज तम्बी	सेवादार
37. श्री प्यारेलाल	सेवादार
38. श्री अवधेश तिवारी	सेवादार
39. श्री पुरुषोत्तम तिवारी	सेवादार
40. श्री मुराहू यादव	सेवादार
41. श्री कन्हैया मिश्र	सेवादार
42. श्री रवि कुमार पाण्डेय	सेवादार
43. श्री दिनेश चन्द्र पाण्डेय	सेवादार
44. श्री जयप्रकाश पाण्डेय	चालक

(10) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में — उ0प्र0 श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम की धारा–16 (1) के तहत

यथाउपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो । मुख्य

।

राज्य सरकार मंदिर के लिए एक

कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगी

धारा–16 (2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सेवा की शर्तों जिसमें उनकी नियुक्ति के लिए अर्हता और उस देय वेतन और भत्ता भी सम्मिलित है, ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय । परन्तु वेतन ओर सेवा की अन्य शर्त के बारे में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के अधिकार, उसकी नियुक्ति के पश्चात् इस प्रकार परिवर्तित नहीं किए जायेंगे कि उसके लिए अलाभकर हों ।

इसके अतिरिक्त अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त है ।

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में कार्यरत लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम की धारा–21 (1) इस निमित्त बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, न्यास परिषद् या यथास्थित मुख्यकार्यपालक अधिकारी ऐसे कर्मचारियों को ऐसे पदनाम सहित जैसा विहित किया जाय नियुक्त कर सकता है और उनको ऐसी शक्ति और ऐसे कृत्य सौंप सकता है जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझे जाय ।

धारा–21(2) कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्ते हकदार होंगे और वे ऐसी सेवा शर्तों से जिनमें अर्हता और भर्ती की प्रणाली की शर्तें भी सम्मिलित है, नियंत्रित होंगे जैसी विहित की जाए ।

धारा–21(3) कोई कर्मचारी सेवा से तब तक नहीं हटाया जायगा जब तक उसे सुनवाई का युक्ति संगत अवसर न दिया गया हो ।

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम की धारा–22(1) मंदिर के सम्बद्व या उससे सेवारत प्रत्येक अर्चक मंदिर में पूजा, सेवा, कर्मकाण्ड, समारोह और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए और उससे सम्बद्व अन्य सामान्य या विशेष

दैनिक या साविधिक सेवा के उचित सम्पादन और संचालन के लिए उत्तरदायी होगा और न्यास परिषद् या कार्यपालक समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मंदिर का कोई अन्य कर्मचारी अर्चक के तदैव कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

धारा–22(2) अर्चक अपनी सेवाओं के लिए ऐसे पारिश्रमिक का हकदार होगा जो उसके और न्यास परिषद् के बीच अनुबन्धित हो और, ऐसे अनुबन्ध के अभाव में इस निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार अवधारित हो और किसी अन्य परिदेय या परिलब्धि का हकादार नहीं होगा सिवाय उसके जो इस अधिनियम के द्वारा अधीन अनुज्ञात हो ।

(11) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियॉ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट ।

उ0प्र0 श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम की धारा– 25 (1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में उस वर्ष के लिए प्राक्कलित आय और व्यय का (जिसे आगे बजट कहा गया है ।) एक विवरण पत्र न्यास परिषद् उपान्तर के बिना या ऐसे उपान्तर के साथ जिसे वह उचित समझे बजट का अनुमोदन कर सकती है ।

धारा–25(2) प्रत्येक बजट में निम्नलिखित के लिए पर्याप्त व्यवस्था होगी ।

(एक) मंदिर में विग्रह की पूजा, सेवा, कर्मकाण्ड समारोह और अन्य धार्मिक अनुष्ठान का उचित सम्पादन ।

(दो) मंदिर के समस्त दायित्वों का सम्यक् निर्वहन ।

(तीन) काम चालउ बचत पूॅजी और आरक्षित निधि का अनुरक्षण ।

(चार) तीर्थ यात्रियों, पूजा करने वालों या मंदिर में हितबद्व व्यक्तियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा के लिए किया जाने वाला प्रबन्ध ।

(पॉच) मंदिर और उससे सम्बद्व भवनों का निर्माण, मरम्मत और सुधार।

(छः) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाए धारा–25(3) न्यास

परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् बजट राज्य सरकार को ऐसे दिनांक के पूर्व जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त निश्चित किया जाय, प्रस्तुत किया जायेगा।

धारा–25(4) बजट स्वीकृत करने के पूर्व राज्य सरकार अपना यह समाधान करेगी कि विहित काम चलाऊ बचत पूंजी के अनुरक्षण और मंदिर और उसके विन्यासी के समस्त दायित्वों को पूरा करने के लिए ।

बजट में पर्याप्त व्यवस्था की गयी है और राज्य सरकार को बजट के किसी भाग का उपान्तर करने की शक्ति होगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी व्यवस्था की गयी है ।

धारा–25(5) राज्य सरकार का बजट को स्वीकृत करने वाला विनिश्चय मुख्य कार्यपालक अधिकारी को करने वाला विनिश्चय मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसे दिनांक तक संसूचित किया जायेगा जो विहत किया जाय और उसके अभाव में यह समझाा जायगा कि राज्य सरकार के द्वारा बजट किसी उपान्तर के बिना स्वीकृत कर दिया गया है ।

धारा–25 (6) न्यास परिषद् के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह कोई व्यय करे जो बजट में स्वीकृत नहीं है या जो बजट में व्यवस्थित किसी धनराशि को परिवर्तित करने का प्रभाव रखता है ।

धारा–25(6) न्यास परिषद् के लिए यह विधिपूर्ण नहीं हेागा कि वह र्का व्यय करे जो बजट में स्वीकृत नहीं है या जो बजट में व्यस्थित किसी धनराशि को परिवर्तित करने का प्रभाव रखता है ।

धारा–25(7) जब किसी नई सेवा के लिए जिसकी प्रकल्पना बजट में नहीं की गयी है, अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो तब मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रस्तावित व्यय का अनुपूरक प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा और उपधारा (1) से (6) के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे अनुपूरक प्राक्कलन पर लागू होंगे ।

धारा–25 (8) यदि कोई व्यक्ति मंदिर की सम्पत्ति की आमदनी से कोई भुगतान किसी रुढ़ी या प्रथा के आधार पर या अन्यथा किसी हित के कारण पाने का हकदार है जो उसे मंदिर के कार्यों के प्रशासन में है तो ऐसा भुगतान उसको उपधारा (2) में विर्निदिष्ट विषयों के बारे में अपेक्षित व्यय को यथाविधि पूरा करने के बाद किया जायगा और ऐसा भुगतान करने में आवश्यक समानुपातिक समायोजन भी किया जा सकता है ।

अधिनियम की धारा–26 न्यास परिषद् नियमित लेखा ऐसे प्रपत्र में जिसे राज्य सरकार अनुमोदित करें और ऐसे विवरण सहित, जो विहित किया जाय, रखवाएगी

आवंटित बजट

क्रम सं.	मद	वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु शासन द्वारा स्वीकृत बजट (लाख रुपये में)
1.	भोग	3.20
2.	प्रकाष व्यवस्था	1.70
3.	अनुरक्षण	0.50
4.	जलापूर्ति	0.03
5.	स्वच्छता	2.25
6.	डाक व्यय	0.04
7.	यात्रा भत्ता	0.15
8.	गाड़ी का खर्च	0.70
9.	ढुलाई भाड़ा/मजदूरी	0.01
10.	लेखन सामग्री	0.20
11.	श्रृंगार	1.00
12.	बर्तन	1.01
13.	अन्नकूट	1.00
14.	पूजा अर्चना	2.00
15.	न्यायालय व्यय	0.01
16.	दूरभाष	0.40

17.	प्रसाद	0.20
18.	फर्नीचर एवं आफिस	0.85
19.	कार्मिकों कापारिश्रमिक	20.00
20.	वेतन अधिकारी 8.50	
21.	वेतन सुरक्षा स्टाफ	1.50
22.	मानदेय अन्य	1.00
23.	ग्रेच्यूटी पेंशन	2.00
24.	साहित्य प्रचार–प्रसार	1.27
25.	कर्मचारी कल्याण	0.40
26.	विविध व्यय	0.10
27.	स्थानीय लेखा	1.00
28.	लेखा परीक्षा शुल्क	0.30
29.	लाकर रेन्ट	0.04
30.	भवन किराया	0.15
31.	पुस्तक क्रय	0.00
32.	बैंक कमीशन चार्ज	0.02
33.	चिकित्सा सुविधा	0.15
34.	अन्य अचल सम्पत्ति	22.36
35.	सम्भावित विकासकार्य	0.00
36.	पुर्नविद्युतीकरण	2.98
37.	कार क्रय	5.00
38.	विद्वानों को सम्मानित किये जाने हेतु	0.60
	कुल योग	81.62

(12) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रम के फायदाग्राहियॉ के ब्योरे सम्मिलित हैं ।

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दैनिक कार्यक्रम

क्र. समय	कार्यक्रम	देवालय सेवा
1.प्रातः3.बजे	मंगलाआरती	151.00
2.6.00प्रातः	रुद्राभिषेक 1शास्त्री	151.00
3.से सायं 6बजे	रुद्राभिषेक 5शास्त्री	301.00
4. ––	रुद्राभिषेक11शास्त्री	901.00
5.	लधुरुद्र	2101.00
6.	महारुद्र	21111.00
7.11–30प्रातः	भोग/आरती	51.00
8. 7.00सायं	सायं सप्तर्षि	51.00
9. 9.00रात्रि	रात्रिश्रृंगार/भोग आरती	51.00
10.10.00रात्रि	रात्रि शयन आरती	निःशुल्क
11.दैनिक भोग		2001.00
12.सोमवार प्रसाद		3001.00

13.श्रावण सोमवार प्रसाद	5001.00
14.श्रृंगार	2001.00
15. पूर्णिमा श्रृंगार	2501.00
16.श्रावण सोमवार श्रृंगार	10101.00
17.दूध (5ली0से 21ली0)	51.00
18.दूध (21ली0से 50ली0)	101.00
19. हौद भराई	1001.00
20.कथा	51.00
21.मुण्डन	101.00
22.अखण्डदीप	501.00
23.सवा लाख बत्ती	51.00
24.लक्षविल्वार्चना	3100.00
25.विल्वार्चना	31.00

LONG TERM POOJA SCHEME

26.	दैनिक अर्चना योजना	11000.00
27.	आन्ध्रा बैंक स्कीम	
(1)	यतिभिक्षा	7000.00
(2)	अभिषेक /अर्चना	5000.00/9000.00
(3)	आरती / श्रृंगार	4000.00
(4)	फ्री फीडिंग	4000.00
(5)	सर्वपूजा	11000.00
(6)	नित्य प्रसादम	2000.00

(13) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या के प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियॉ ।

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास में इस प्रकार अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियॉ निर्गत नहीं किया जाता है ।

(14) किसी इलेक्टिानिक रुप में सूचना के सम्बन्ध के में ब्योरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो ।

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की वेबसाइट बनाने सम्बन्ध में न्यास परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया है ।

(15) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियॉ, जिनके अन्तर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घण्टे सम्मिलित है ।

सहायक जन सूचना अधिकारी, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर दूरभाष संख्या: 0542—2390550 के कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान प्राप्त किये जाने की व्यवस्था है।

Uttar Pradesh Dharmarth Karya Vibhag

(16) लोक सूचना अधिकारियो ं के नाम, पदनाम वर्तमान में शासन के पत्र दिनांक.21 नवम्बर और अन्य विशिष्टियॉं 2005 द्वारा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रीदयाशंकर पाठक राज्य सहायक जन सूचना
अधिकारी /अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के
रुप में तैनात है । इसी प्रकार विशेष सचिव,
धर्मार्थ कार्य विभाग जन सूचना अधिकारी /
विशेष सचिव के रुप में तैनात है ।

उत्तर प्रदेश शासन संलग्नक-2 विधायी अनुभाग-1

&&&&&&&&&

संख्याः 2899/सत्रह-वि-1-1(क)-8-1983
लखनऊ, 13 अक्टूबर, 1883
&&&&&&&&

अधिसूचना
&&&&&&&&
विविध
‘‘ भारत के संविधान’’ के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विधेयक, 1983 पर दिनांक 12 अक्टूबर, 1983 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्याः 29 सन् 1983 के रूप में, सर्वसाधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1983)
(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी और उसके विन्यास के समुचित और अधिक अच्छे प्रशासन और उससे सम्बद्ध या उसके अनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये
अधिनियम
भारत गणराज्य के चौतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-
अध्याय-- एक
प्रारम्भिक
1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, संक्षिप्त नाम और
अधिनियम, 1983 कहा जायेगा। प्रारम्भ (2) यह 28 जनवरी, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2-- इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या प्रथा या अधिनियम का

RTI Act 2005 – Proactive Disclsoures June 5, 2006 Page - 20

रूढ़ि, संविदा, विलेख या प्रलेख, किसी न्याय के निर्णय डिग्री या आदेश या अध्यारोही प्रभाव

न्जजंत च्तंकमेी क्ींतउंतजी ज्ञंतलं टपइींह किसी न्यायालय द्वारा निश्चित की गयी किसी स्कीम में किसी बात के होते हुए
भी प्रभवी होंगे।

3-- कोई व्यक्ति, जब तक वह हिन्दू धर्मावलम्बी न हो, न्यास- परिषद या अधिनियम के
कार्यपालक समिति के सदस्य या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मन्दिर के किसी अधीन कार्य करने
कर्मचारी के रूप में होने या रहने के लिए पात्र नहीं होगा और जब कोई व्यक्ति वाले हिन्दू होंगें
हिन्दू न रह जाय त बवह उस पद पर न रह जायगा और उस रूप में किसी
शक्ति या प्रयोग या किसी कृत्य का निर्वहन करना बन्द कर देगा।

नोटः- जैसा कि अधिनियम 13 जनवरी, 1984 दिनांक 5 दिसम्बर, 1986, दिनांक 2 फरवरी,1987 तथा दिनांक 6 अक्टूबर, 1989 द्वारा समय-समय पर हुए संशोधनानुसार संशोधित किया गया।

(यथा संशोधित)

परिभाषाएं 4-- इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(1) ‘‘नियत दिनांक’’ का तात्पर्य ऐसे दिनांक से है जिसे राज्य
सरकार अधिसूचना द्वारा, नियत करे ;
(2) ‘‘अर्चक’’ का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो मन्दिर से किसी पूजा
सेवा, कर्मकाण्ड या अन्य धार्मिक अनुष्ठान का सम्पादन या संचालन करता है और उसमें पुजारी, पंडा पुरोहित या सेवक भी सम्मिलित है ;
(3) ‘‘न्यास परिषद्’’ का तात्पर्य धारा-6 के अधीन गठित न्यास परिषद् से है ;
(4) ‘‘मुख्य कार्यपालक अधिकारी’’ का तात्पर्य धारा-16 के अधीन
नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है;
(5) ‘‘निन्यास’’ का तात्पर्य समस्त स्थावर या जंगम सम्पत्ति से है
जो मन्दिर की हो या उसके अनुपयोग या अनुरक्षण या सुधार के लिये या मन्दिर में किसी पूजा, सेवा, कर्मकाण्ड, समारोह या अन्य धार्मिक अनुष्ठान के लियेया उससे संबंधित किसी दान के लिए दी या अर्पित की गयी हो और उसमें मन्दिर में प्रतिष्ठित देव प्रतिमाएं, मन्दिर का परिसर और मन्दिर की सीमा के भीतर किसी व्यक्ति को मन्दिर या उसमें प्रतिष्ठित देव प्रतिमाओं के लिये दिया गया या देने के लिये आशयित सम्पत्ति का दान भी सम्मिलित है;
(6) ‘‘कार्यपालक समिति’’ का तात्पर्य धारा 19 के अधीन गठित
कार्यपालक समिति से है;
(7) ‘‘बिहित’’ का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के
अधीन बनाये गये नियमों या जारी किये गये अधिसूचित आदेश द्वारा विहित
से है;

RTI Act 2005 – Proactive Disclsoures June 5, 2006 Page - 21

न्जजंत च्तंकमेी क्ींतउंतजी ज्ञंतलं टपइींह (8) ‘‘धर्मार्थ अर्पण’’ का तात्पर्य मंदिर की सीमाओं के भीतर या
अन्यत्र द्रव्य या पदार्थ के ऐसे अर्पण से है, जो मन्दिर में किसी पूजा, सेवा,
कर्मकाण्ड, समारोह या धार्मिक अनुष्ठान के सम्पादन या संचालन से सम्बद्ध
हो और उसमें डाक या तार से भेजा गया धन या चेक या बैंक ड्राफ्ट भी
सम्मिलित है जिसका अभिप्राय या आशय यह हो कि उसका वैसा उपयोग
मन्दिर में किया जाय;
(9) ‘‘मन्दिर’’ का तात्पर्य वाराणसी नगर में स्थित आदि विश्वेश्वर
के मन्दिर से है, जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर’’ के नाम से विख्यात है, और सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप में उपयोग में लाया जाता है और हिन्दू मात्र के लिए समर्पित या उनके लाभार्थ है या ज्योर्तिलिंग के साधिकार सार्वजनिक धार्मिक पूजा स्थल के रूप में उपयोग में लाया जाता है और उसमें समस्त गौण मन्दिर, उपासना स्थल, गोण उपासना स्थल ओर समस्त अन्य देव प्रतिमाओं के स्थान मंडप, कूप, जलाशय और अन्य आवश्यक निर्माण ओर उससे सम्बद्ध भूमि और नियत दिनांक के बाद उसमें जो
परिवर्धन किया जाय वह भी सम्मिलित है;
(10) ‘‘मंदिर निधि’’ का तात्पर्य धारा 23 के अधीन गठित मन्दिर
निधि से है।

अध्याय- दो
न्यास परिषद्

5--मंदिर और उसका विन्यास श्री काशी विश्वनाथ के विक्रह में विहित मंदिर और उसके
होगा। विन्यास का विहित
होना
6--(1) नियत दिनांक से, मन्दिर और उसके विन्यास का शासन और न्यास परिषद् का
प्रशासन न्यास परिषद् में निहित होगा जिसे श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर न्यास
परिषद कहा जायगा।
(2) न्यास परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:-
(क) डाक्टर विभूति नारायण सिंह जो न्यास परिषद् के अध्यक्ष भी
होगें ;
(ख) श्री जगत गुरू शंकराचार्य ; श्रृगेरी ;
(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार सांस्कृतिक कार्य विभाग-पदेन ;
(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग- पदेन;
(ड.) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग- पदेन ;
(च) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, न्याय विधायी विभाग, चक्रानुक्रम में, ऐसी रीति से जो विहित की जाय-- पदेन;
(छ) निदेशक, सांस्कृतिक कार्य , उत्तर प्रदेश- पदेन;
(ज) आयुक्त, वाराणसी मण्डल,- पदेन ;
(झ) जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी- पदेन;

RTI Act 2005 – Proactive Disclsoures June 5, 2006 Page - 22

न्जजंत च्तंकमेी क्ींतउंतजी ज्ञंतलं टपइींह (´) कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी- पदेन;
(ट) दो ऐसे स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति जो मन्दिर के कार्यकलापों के प्रबन्ध और प्रशासन का और उसमें की जाने वाली पूजा, सेवा, कर्मकाण्ड या धार्मिक
अनुष्ठान का अच्छा ज्ञान ओर अनुभव रखते हों, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा नाम-
निर्दिष्ट किया जायेगा ;
(ठ) हिन्दू धर्मशास्त्र में निष्णात तीन प्रख्यात हिन्दू विद्धान, जो राज्य सरकार
द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेगें।

नोट--’(ड.) सचिव और उनकी अनुपस्थिति में, विशेष सचिव, यदि कोई हो, उत्तर प्रदेश सरकार धर्मार्थ कार्य विभाग (अधिसूचना दिनांक 5-12-86 द्वारा संशोधित)।
’’लोप करके पढा जाय, और पश्चातवर्ती खण्डों के संख्यांकन कोष्ठक तथा अक्षर ‘‘(ज)’’, ‘‘(झ)’’, ‘‘(´)’’,‘‘(ट)’’ तथा ‘‘(ठ)’’ के स्थान पर क्रमशः कोष्ठक तथा अक्षर ‘‘(छ)’’,‘‘(ज)’’,‘‘(झ)’’,‘‘(´)’’तथा ‘‘(ट)’’ पढ़े जाय (यह संशोधन अधिसूचना दिनांक 13.1.1984 द्वारा किया गया)
’’ ’ धारा --6 में, उपधारा (2) में खण्ड (ट) के पश्चात् खण्ड ‘‘(ठ)’’ मुख्य कार्यपालक अधिकारी --------------------------- पदेन बढा हुआ पढ़ा जाय।

(3) यदि न्यास परिषद का कोई सदस्य तदैव अपने कर्तव्य का पालन इस तथ्य के
कारण नहीं कर सकता है कि वह हिन्दू नहीं है तो इस निमित्त उसके अधीनस्थ जो
निकटतम व्यक्ति उपलब्ध हो, वह समय विशेष पर न्यास परिषद् का सदस्य होगा।

(4) न्यास परिषद निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और
उपरोक्त नाम से जो वाद प्रस्तुत कर सकता है या जिसके विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया जा
सकता है।

(5) न्यास परिषद् का गठन और उसमें प्रत्येक परिवर्तन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित
किया जायेगा।

पदावधि 7-- (1) न्यास परिषद् के पदेन सदस्य से भिन्न प्रत्येक सदस्य अपने नाम-निर्देशन की अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा:

परन्तु धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विर्निदिष्ट
सदस्य अपने जीवन-पर्यन्त पद धारण करेगा;

RTI Act 2005 – Proactive Disclsoures June 5, 2006 Page - 23

न्जजंत च्तंकमेी क्ींतउंतजी ज्ञंतलं टपइींह परन्तु यह और भी कि कोई सदस्य पुन; नाम निर्देशन के लिये पात्र होगा।
(2) न्यास परिषद के किसी सदस्य के पद में आकस्मिक रिक्ति की जो मृत्यु, पद
त्याग, हटाये जाने के कारण या अन्यथा हो, पूर्ति उसी रीति से की जायगी जैसी धारा
6 में विर्निर्दिष्ट है।

न्यास परिषद 8--(1) राज्य सरकार न्यास परिषद् के किसी सदस्य को जो अध्यक्ष या पदेन सदस्य
के किसी सदस्य से भिन्न हो, अयोग्यताया दुराचार के आधार पर हटा सकती है।
को हटाने के
लिये राज्य (2) न्यास परिषद का कोई सदस्य इस धारा के अधीन तब तक नहीं हटाया जायगा सरकार की जब तक उसे अपने हटाये जाने के विरूद्ध कारण दर्शित करने का युक्ति संगत अवसर
शक्ति नहीं दिया गया है।
(3) इस धारा के अधीन राज्य सरकार की विनिश्चय अन्तिम होगा और उस पर किसी
न्यायालय में आपत्ति नही की जायगी।

न्यास परिषद 9--(1) न्यास परिषद की बैठक सामान्यतया प्रत्येक तिमाही में एक बार हो ऐसे की बैठक दिनांक को और ऐसे समय और स्थान पर होगी जिसे न्यास परिषद के द्वारा अवधारित किया जाय या, यथास्थिति, अध्यक्ष के द्वारा निर्देशित किया जाय।

(2) न्यास परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में
ऐसा सदस्य करेगा जिसे न्यास परिषद् द्वारा अवधारित किया जाय।

’ (3) धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट सदस्य, यदि वह न्याय परिषद् की बैठक में उपस्थित होने से असमर्थ है, तो वह किसी व्यक्ति को जो हिन्दू हो, उस बैठक में उपस्थित होने के लिये लिखित रूप में प्राधिकृत कर सकता है।

’ (4) न्यास परिषद् की किसी बैठक में कोई कार्य तब तक सम्पादित नहीं किया जायगा जब तक कम से कम पांच सदस्य उपस्थित न हों।

(5) न्यास परिषद् कार्य-सम्पादन के लिये किसी ऐसी प्रक्रिया का अनुसारण करेगी जैसी विनियमों द्वारा अवधारित की जाय।

(6) न्यास परिषद की किसी बैठक में उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्न उपस्थित ओर मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णीत किये जायेगें और मत बराबर होने पर अध्यक्ष निर्णायक मत देगा।

(7) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो न्यास परिषद् का सचिव होगा, न्यास परिषद् के कार्यवाही वृत्त के सम्यक् अभिलेख ओर अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी होगा और कार्यवृत्त की एक प्रति राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रेषित करेगा।

10- न्यास परिषद के समस्त आदेश ओर विनिश्चय और न्यास परिषद के न्यास परिषद के

RTI Act 2005 – Proactive Disclsoures June 5, 2006 Page - 24

न्जजंत च्तंकमेी क्ींतउंतजी ज्ञंतलं टपइींह कार्य ओर कार्यवाही के अभिलेख को अध्यक्ष के हस्ताक्षर से या यदि कार्य और कार्य-
न्यास परिषद ऐसा प्राधिकृत करे तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी के वाही का अधि-
हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित किया जायगा। प्रमाणीकरण

11- न्यास परिषद का कोई कार्य या कार्यवाही न्यास परिषद के गठन में रिक्त होने पर
किसी रिक्ति या त्रुटि हाने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी। भी न्यास परिषद
के कार्य करने
की शक्ति

12- राज्य सरकार, आदेश द्वारा, समय-समय पर न्यास परिषद के अध्यक्ष न्यास परिषद के
या सदस्यों को ऐसे भत्ते ऐसी रीति से और ऐसे समय पर मन्दिर निधि से दिये सदस्यों को
जाने के लिये निदेश दे सकती है जैसी वह अवधारित करे। भत्ता
’अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप धारायें रख दी गयी हैः- (3) धारा 6 की उपधारा(2) के खण्ड (ख) में विर्निदिष्ट सदस्य किसी व्यक्ति की जो हिन्दू हो, ऐसी बैठक
में उपस्थित होने के लिये लिखित रूप में प्राधिकृत कर सकता है और उक्त उपधारा के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) या खण्ड (ड.) या खण्ड (च) में विनिर्दिष्ट सदस्य, यदि वह न्यास परिषद की किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है तो वह इसी प्रकार किसी अधिकारी को जो उसके विभाग में संयुक्त सचिव से निम्न पद का न हो, ऐसी बैठक में उपस्थित होने के लिये प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति या अधिकारी को बैठक की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा और मत देने का भी अधिकार होगा।
’(4) न्यास परिषद् की किसी बैठक में कोई कार्य तब तक सम्पादित नहीं किया जायगा जब तक कम से कम पांच सदस्य जिसके अन्तर्गत उपधारा (3) के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति या अधिकारी भी है, उपस्थित न हों ।’’ (अधिसूचना दिनांक 6 अक्टूबर, 1989 द्वारा संशोधित)

न्यास परिषद् का 13--(1)न्यास परिषद् और उसके विन्यास की या उसकी अंगीभूत समस्त
मंदिर और उसकी जंगम और स्थावर सम्पत्ति; द्रव्य, मूल्यवान वस्तु, आभूषण; अभिलेख, दस्तावेज
सम्पत्ति पर कब्जा भौतिक पदार्थ और अन्य आस्तियों का कब्जा लेने और रखने का हकदार होगी

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में यथा उपरोक्त
कोई ऐसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति , द्रव्य, मूल्यवान वसतु, आभूषण, अभिलेख
दस्तावेज भौतिक पदार्थ या अन्य आस्तियां है; इस अधिनियम के अधीन अपेक्षा
किये जाने पर उसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी के समक्ष न्यायोचित अपवादों के
अधीन रखते हुए, प्रस्तुत करेगा और देगा।

न्यास परषद् के 14-- इस अधिनियम ओर इसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के कर्तव्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, न्यास परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि--
(क) मन्दिर में श्री काशी विश्वनाथ और अन्य विग्रहों को दैनिक या

RTI Act 2005 – Proactive Disclsoures June 5, 2006 Page - 25

न्जजंत च्तंकमेी क्ींतउंतजी ज्ञंतलं टपइींह सर्वाधिक, सामान्य या विशेष, पूजा, सेवा और कर्मकाण्ड, समारोह और
अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के हिन्दू शास्त्रों और धर्म ग्रन्थों और प्रथा के अनुसार
सम्यक् और उचित सम्पादन की व्यवस्था करे;
(ख) मन्दिर में सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार जिसमें प्रकाश
व्यवस्था, स्वास्थ्यप्रद वातावरण और समुचित स्तर की स्वच्छता भी सम्मिलित है,
उसका अनुरक्षण सुनिश्चित करें;
(ग) मन्दिर की निधि, द्रव्य, मूल्यवान वस्तु; आभूषण और अन्य सम्पत्ति की निरापद अभिरक्षा सुनिश्चित करें;
(घ) मन्दिर की सम्पत्ति और ऐहिक कार्यो के परिरक्षण ओर प्रबन्ध के लिये पर्याप्त व्यवस्था करें;
(ड.) विन्यास निधि का व्यय दानकर्ताओं की इच्छा जहां तक उसको जानकारी हो या निश्चित रूप से की जा सके, उसके अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें;
(च) तीर्थ यात्रियों और पूजा करने वालों द्वारा उचित ढंग से पूजा किये जाने के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करें;
(छ) तीर्थ यात्रियों और पूजा करने वाले की सुविधा और चिकित्सा संबंधी सहायता के लिये व्यवस्था करें;
(ज) तीर्थ यात्रियों और पूजा करने वालों के लाभार्थ निम्नलिखित कार्य करें--
(एक) उनके आवास के लिये भवनों का निर्माण;
(दो) सफाई सम्बन्धी निर्माण कार्य ;
(तीन) संचार साधनों में सुधार;
(चार) ऐसे अन्य विषय जो विहित किये जायें;
(झ) वेतन भोगी कर्मचारियों को उपयुक्त परिलब्धियों के भुगतान की
व्यवस्था करें;
(´) ऐसी सभी अन्य बात कर जो मन्दिर और उसके विन्यास के
कार्यो के कुशल प्रबन्ध और तीर्थ यात्रियों और पूजा करने वालों की सुविधा के
लिये अनुषंगिक और सहायक हों।

15--न्यास परिषद् समस्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो इस अधिनियम न्यास परिषद
के अधीन उसके कर्तव्यों और कृत्यों के पालन के लिये आवश्यक या अनुषंगिक हों और की शक्ति
विशेष रूप से उसे यह शक्ति होगी कि--

(क) मन्दिर में किसी पूजा सेवा, कर्मकाण्ड, समारोह या धार्मिक अनुष्ठान के संपादन के लिये
फीस निर्धारित करें ;

(ख) ऐसी सूचना और लेखा की मांग करें जो उसकी राय में यह उसका समाधान करने के लिये आवश्यक है कि मन्दिर ओर उसके विन्यास का अनुरक्षण और प्रशासन उचित रीति से किया जा रहा है ओर उसकी निधि का विनियोग उन प्रयोजनों के लिये हो रहा है जिनके लिये उनका अस्तित्व है या उनकी स्थापना की गयी थी;

RTI Act 2005 – Proactive Disclsoures June 5, 2006 Page - 26

न्जजंत च्तंकमेी क्ींतउंतजी ज्ञंतलं टपइींह (ग) मंदिर के परिसर के भीतर और मन्दिर के ऐसे क्षेत्र में जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया
जाय, निम्नलिखित को प्रतिषिद्ध करें:-

(एक) किसी मादक पेय या औषधि का विक्रय , कब्जा , उपयोग या उपभोग;

(दो) मांस या मासयुक्त किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय , कब्जा, बनाया जाना
या उपभोग;
(तीन) किसी पशु या पक्षी का किसी प्रयोजन के लिए बध करना या उसकी
जान लेना या उसे विकलांग करना;
(चार) ताश, पाशा, चौपड़, रूपया या जुआ खेलने के लिये किसी अन्य
उपकरण से जुआ खेलना ;
(घ) ऐसी अन्य बातों को करना या करने के लिये निदेश दे जो विहित की जाय।

&&&&&&&&&&&&&&

अध्याय-- तीन
मन्दिर अधिष्ठान

16--(1) राज्य सरकार मन्दिर के लिये एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी मुख्य कार्यपालक
नियुक्त करेगी। अधिकारी
(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की सेवा की शर्तो जिसमें उसकी नियुक्ति के
लिये अर्हता और उस देय वेतन और भत्ता भी सम्मिलित है, ऐसी होंगी जैसी राज्य
सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जायें;

परन्तु वेतन और सेवा की अन्य शर्त के बारे में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के
अधिकार, उसकी नियुक्ति के पश्चात् इस प्रकार परिवर्तित नही किये जायेगें कि
उसके लिये अलाभकर हों।
17--(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी मन्दिर का प्रमुख कार्यपालक अधिकारी मुख्य कार्यपालक
होगा और न्यास परिषद् के नियन्त्रण के अधीन रहते हुए, मन्दिर के एहिक अधिकारी की शक्ति
कार्य और उसके विन्यास के प्रबन्ध के लिये उत्तरदायी होगा। और कर्तव्य

(2) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन
रहते हुए, मुख्य कार्यपालक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि--
(क) न्यास परिषद और कार्यपालक समिति के विनिश्चय और आवेश का
इस अधिनियम के उवपबन्धों के अनुसार कार्यान्वित करें ;
(ख) मन्दिर में धर्मार्थ अर्पण के उचित संग्रह, अनुरक्षण और निस्तारण की
व्यवस्था करें और उसका पूर्ण और उचित लेखा रखें;
(ग) मन्दिर के समस्त अभिलेख, आभूषण, मूल्यवान वस्तु, धन मूल्यवान
प्रतिभूति और सम्पत्ति की अभिरक्षा और उनके परिरक्षण और अनुरक्षण
के लिये उपयुक्त व्यवस्था करें;

RTI Act 2005 – Proactive Disclsoures June 5, 2006 Page - 27

न्जजंत च्तंकमेी क्ींतउंतजी ज्ञंतलं टपइींह (घ) न्यास परिषद के कार्यवाही वृत्त का अभिलेख रख और अनुरक्षण
करें;
(ड.) ऐसे निर्माण-कार्य या आपूर्ति के लिये टेन्डर मांगे और टेन्डर को
स्वीकार करे जिसका मूल्य या धनराशि पांच हजार रूपये से अधिक न हो;
(च) मन्दिर के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखे और अनुशासन भंग के
मामलों में उनके विरूद्ध समुचित कार्यवाही करें;
(छ) ऐसी अन्य सभी बातें करें जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन
आरोपित उसके कर्तव्यों के सम्यक् पालन के लिये अपेक्षित हों।

आपात काल में 18--(1) आपातकाल में मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी कार्य के
मुख्य कार्यपालक निष्पादन या किसी बात के लिये किये जाने के निदेश दे सकता है जो उस
अधिकारी की शक्ति वर्ष के बजट में उपबन्धित नहीं है या जो उसकी राय में मन्दिर या उसके
विन्यास के परिरक्षण के लिये या मन्दिर में आने-जाने वाले तीर्थ -यात्रियों
या पूजा करने वालों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा के लिये या मन्दिर में
पूजा, सेवा, कर्मकाण्ड, समारोज या अनुष्ठान के सम्यक सम्पादन के लिये
तुरन्त आवश्यक और अपरिहार्य है और यह भी निदेश दे सकता है कि
ऐसे कार्य के निष्पादन या ऐसी बात के किये जाने के खर्च का भुगतान
मन्दिर निधि से किया जायगा।
(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस धारा के अधीन किये गये कार्य
की आख्या, न्यास परिषद और कार्यपालक समिति को तुरन्त देगा और उस
कार्य के कारणों को भी बतायेगा और तत्पश्चात् कार्यपालक समिति की
संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, न्यास परिषद ऐसी कार्यवाही करेगी जैसी
वह उचित समझे।

कार्यपालक 19-- (1) एक कार्यपालक समिति होगी जो न्यास परिषद या राज्य सरकार
समिति के निदेशों के अधीन रहते हुए, मन्दिर के कार्यो के अधीक्षण, निदेशन और
नियंत्रण के लिये उत्तरदायी होगी।
(2) कार्यपालक समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगें, अर्थात:--
(क) आयुक्त वाराणसी मण्डल सभापति
(ख) जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी सदस्य
(ग) ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी सदस्य
(घ) प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, वाराणसी सदस्य
(ड.) धारा (6) की उपधारा (2) के खण्ड (ट) सदस्य पदेन
में विनिर्दिष्ट न्यास परिषद के सदस्य
(च) मुख्य कार्यपालक अधिकारी सदस्य सचिव।
‘‘(ट) के स्थान पर कोष्टक तथा अक्षर ‘‘(´)’’ पढ़ा जाय (अधिसूचना दिनांक 13 जनवरी, 1984 द्वारा संशोधित)

(3) यदि कार्यपालक समिति का कोई सदस्य तदैव अपना कर्तव्य इस
तथ्य के कारण सम्पादित नहीं कर सकता कि वह बिन्दु नहीं है तो इस निमित्त
उसके अधीन उपलब्ध निकटतम व्यक्ति समिति में कार्य करेगा।

RTI Act 2005 – Proactive Disclsoures June 5, 2006 Page - 28

न्जजंत च्तंकमेी क्ींतउंतजी ज्ञंतलं टपइींह (4) कार्यपालक समिति को किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति को जिनकी संख्या
दो से अधिक नहीं होगी, सदस्य के रूप में अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए सहयोजित
करने की शक्ति होगी।
(5) कार्यपालक समिति ऐसी ऐसी शाक्ति का प्रयोग और ऐसे कृत्य का
सम्पादन करेगी जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे प्रदान किये जाय या
न्यास परिषद् के द्वारा उसे सौपे जाय।
20--(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी यथा शीघ्र एक अनुसूची तैयार करेगा मंदिर के वर्तमान जिसमें मन्दिर के अधिष्ठान में सम्मिलित व्यक्तियों के पदनाम कोटिक्रम और कर्मचारियों के कर्तव्य का उल्लेख होगा। बारे में उपलब्ध

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुसूची को तैयार करते समय मुख्य कार्य
पालक अधिकारी किसी हित की, जिसका दावा कोई व्यक्ति करे, प्रकृति के सम्बन्ध
में किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को या मन्दिर सम्बन्धी
किसी प्रथा या रूढि को मान्यता देगा और कार्यान्वित करेगा।
(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अनुसूची उन प्रस्तावों सहित जो अनुसूची में
विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को देय वेतन या भत्तों के बारे में मुख्य कार्यपालक अधिकारी
द्वारा रखे जायं न्यास परिषद को प्रस्तुत किय जायेगें और ऐसी अनुसूची न्यास
परिषद द्वारा उनमें किये गये किसी परिवर्तन या उपान्तर के अधीन रहते हुए
अनुमोदित किये जाने वपर प्रवृत्त होगी और ऐसे व्यक्ति सेवायोजन की ऐसी शर्तो
के हकदार होंगे जो विहित की जायं।

21--(1) इस निमित्त बनाये गये किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, न्यास मंदिर के परिषद या यथास्थित, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे कर्मचारियों को ऐसे कर्मचारी पदनाम सहित जैसा हित हकिया जाय नियुक्त कर सकता है और उनको ऐसी
शक्ति और ऐसे कृत्य सौंप सकता है जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक
समझे जायंे।

(2)कर्मचारी ऐसे वेतन और भत्ते के हकदार होंगे और वे ऐसी सेवा शर्तो
से जिनमें आर्हता और भर्ती की प्रणाली की शर्ते भी सम्मिलित हैं, नियंत्रित होंगे
जैसी विहित की जाएं।

(3) कोई कर्मचारी सेवा से तब तक नहीं हटाया जायगा जब तक उसे
सुनवाई का युक्तिसंगत अवसर न दिया गया हो।

22-- (1) मन्दिर से सम्बद्ध या उसमें सेवारत प्रत्येक अर्चक मन्दिर में पूजा, सेवा, अर्चक कर्मकाण्ड, समारोह और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों के लिए और उससे सम्बद्ध अन्य
सामान्य या विशेष दैनिक या सावधिक सेवा के उचित सम्पादन और सेचालन के
लिए उत्तरदायी होगा और न्यास परिषद् का कार्यपालक समिति या मुख्य कार्यपालक
अधिकारी या मन्दिर का कोई अन्य कर्मचारी अर्चक के तदैव कर्तव्यों के निर्वहन में
हस्तक्षेप नहीं करेगा।

(2) अर्चक अपनी सेवाओं के लिए ऐसे पारिश्रमिक का हकदार होगा जो उसके
और न्यास परिषद् के बीच अनुबन्धित हो, और ऐसे अनुबन्ध के अभाव में इस
RTI Act 2005 – Proactive Disclsoures June 5, 2006 Page - 29

न्जजंत च्तंकमेी क्ींतउंतजी ज्ञंतलं टपइींह निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार अवधारित हो और किसी अन्य परिदेय या
परिलब्धि का हकदार नहीं होगा सिवाय उसके जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन
अनुज्ञात हो।
&&&&&&&&&&

अध्याय---चार
सम्पत्ति और लेखा

मन्दिर निधि 23--(1) ‘श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर निधि’ के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा जो न्यास परिषद् में निहत होगा और जिसका प्रशासन उसके द्वारा किया
जायगा और उस निधि में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात्--

(क) मन्दिर की जंगम और स्थावर सम्पत्ति से प्रप्त आय;
(ख) श्री काशी विश्वनाथ के विग्रह या मंदिर के किसी अन्य विग्रह को प्रदत्त
या प्रदत्त करने के लिए आशायित धर्मार्थ अर्पण;
(ग) राज्य सरकार द्वारा अनुदान या ऋण के रूप में कोई अंशदान;
(घ) मन्दिर में या उसके लिए किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई दान या
पूण्यार्थ दान;
(ड.) जनता, स्थानीय प्राधिकारी या संस्था द्वारा दिया गया कोई अन्य उपहार
या अंशदान;
(च) इस अधिनियम के अधीन आरोपित सभी जुर्माना और शास्ति;
(छ) इस अधिनियम के अधीन सभी वसूली।

(2) मन्दिर निधि का उपयोग इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित या अनुज्ञात
प्रयोजनों के लिए किया जायगा।
कर्मकाण्ड या ’24--(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियत दिनांक से तीन मास के भीतर मन्दिर समारोह हेतु हेतु व्ययमानप और मन्दिर से सम्बद्ध विभिन्न उद्देश्यों के लिए आवंटनीय धनराशि के व्ययमान निर्धारण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।
का निर्धारण
(2) ऐसे प्रस्ताव अर्चकों से परामर्श के पश्चात् और अर्पण की प्रथा के
अनुसार या अन्यथा पूजा या अर्पण की सामान्य या विशेष, दैनिक या सावधिक सेवा,
कर्मकाण्ड, समारोह या अन्य धार्मिक अनुष्ठान से सम्बन्धित अपेक्षाओं का सम्यकध्यान
रखते हुए तैयार किया जायगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रस्ताव ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से न्यास
परिषद् को प्रस्तुत किए जायेगें, जो विहित किए जाएं।

’मूल अधिनियम की धारा 23 में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ाकर पढ़ी जाय:-
‘‘(3) देव प्रतिमाओं, न्यास परिषद् या मन्दिर निधि को देय कोई विनिश्चित धनराशि, वसूली की किसी
अन्य उपलब्ध रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रमाण-पत्र पर, भू-राजस्व की

RTI Act 2005 – Proactive Disclsoures June 5, 2006 Page - 30

न्जजंत च्तंकमेी क्ींतउंतजी ज्ञंतलं टपइींह बकाया की भांति वसूल की जा सकेगी।’’

(4) न्यास परिषद प्रस्ताव को ऐसी रीति से प्रकाशित कराएगी जैसी विहित
की जाए और कोई हितबद्ध व्यक्ति अपनी आपत्तियों या सुझावों को ऐसे प्रकाशन के दिनांक
से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।
(5) आपत्तियों और सुझावों पर जो उपधारा (4) के अधीन प्राप्त हों, विचार करने के
पश्चात् न्यास परिषद्, ऐसे प्रस्तावों पर, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों को और मन्दिर की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसे आदेश पारित करेगी जिसे वह उचित समझे। (6) उपधारा (5) के अधीन पारित आदेश को एक प्रति विहित रीति से प्रकाशित की जायगी।
(7) उपधारा (5) के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार को अपील कर सकता है और ऐसी अपील पर पारित आदेश अन्तिम होगा।
(8) उपधारा (5) के अधीन निश्चित व्यमान का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जा
सकता है, और उपधारा (1) से (5) के उपबन्ध ऐसे पुनरीक्षण पर, यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
(9) तत्समय प्रवृत्त व्ययमान मन्दिर निधि पर प्रथम प्रभार होगा और उपर्युक्त के सिवाय
उसमें परिवत्रन नहीं किया जायगा।

25--(1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में उस वर्ष के लिए बजट प्राक्कलित आय और व्यय का (जिसे आगे बजट कहा गया है) एक विवरण-पत्र न्यास परिषद
को ऐसी रीति से प्रस्तुत करेगा, जैसी विहित की जाय और न्यास परिषद् उपरान्तर केबिना या ऐसे उपान्तर के साथ जिसे वह उचित समझे बजट का अनुमोदन कर सकती है।
(2) प्रत्येक बजट में निम्नलिखित के लिए पर्याप्त व्यवस्था होगी -
(एक) मन्दिर में विग्रह की पूजा , सेवा, कर्मकाण्ड समारोह और अन्य धार्मिक
अनुष्ठान का उचित सम्पादन;
(दो) मन्दिर के समस्त दायित्वों का सम्यक् निर्वहन;
(तीन) काम चलाऊ बचत पूॅजी और आरक्षित निधि का अनुरक्षण;
(चार) तीर्थ यात्रियों, पूजा करने वालों या मन्दिर में हितबद्ध व्यक्तियों के स्वाथ्य
सुरक्षा और सुविधा के लिए किया जाने वाला प्रबन्ध;
(पांच) मन्दिर और उससे सम्बद्ध भवनों का निर्माण, मरम्मत और सुधार ; और
(छः) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाए।

(3) न्यास परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् बजट राज्य सरकार को ऐसे दिनांक के पूर्व जिसे
राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त निश्चित किया जाय, प्रस्तुत किया जायेगा।
(4) बजट स्वीकृत करने के पूर्व राज्य सरकार अपना यह समाधान करेगी कि विहित काम
चलाऊ बचत पूंजी केू अनुरक्षण और मन्दिर और उसके विनयासों के समसत दायित्वों को

RTI Act 2005 – Proactive Disclsoures June 5, 2006 Page - 31

न्जजंत च्तंकमेी क्ींतउंतजी ज्ञंतलं टपइींह पूरा करने के लिए बजट में पर्याप्त व्यवस्था की गयी है ओर राज्य सरकार को बजट के किसी
भाग का उपान्तर करने की शक्ति होगी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी व्यवस्था
की गई है।
(5) राज्य सरकार का बजट को स्वीकृत करने वाला विनिश्चय मुख्य
कार्यपालक अधिकारी को ऐसे दिनांक तक संसूचित किया जायगा जो विहित किया
जाय और उसके अभाव में यह समझा जायगा कि राज्य सरकार के द्वारा बजट किसी
उपान्तर के बिना स्वीकृत कर दिया गया है।
(6) न्यास परिषद के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह कोई व्यय करे जो बजट में स्वीकृत नहीं है या जो बजट में व्यवस्थित किसी धनराशि को परिवर्तित करने का प्रभाव रखता है।
(7) जब किसी नई सेवा के लिए जिसकी प्रकल्पना बजट में नही की गई है, अनुपूरक
या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो तब मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रस्तावित व्यय का अनुपूरक प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा और उपधारा (1) से (6) के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे अनुपूरक प्राक्कलन पर लागू होंगे।
(8) यदि कोई व्यक्ति मन्दि की सम्पत्ति की आमदनी से कोई भुगतान किसी रूढ़ि या
प्रथा के आधार पर या अन्यथा किसी हित के कारण पाने का हकदार है जो उसे मन्दिर के
कार्यो के प्रशासन में है तो ऐसा भुगतान उसकी उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में
अपेक्षित व्यय को यथाविधि पूरा करने के बाद किया जायेगा और ऐसा भुगतान करने में
आवश्यक समानुपातिक समायोजन भी किया जा सकता है।

नियमित लेखा 26-- न्यास परिषद् नियमित लेखा ऐसे प्रपत्र में जिसे राज्य सरकार अनुमोदित
का रखा जाना करे और ऐसे विवरण सहित, जो विहित किया जाय, रखवाएगी।

लेखा-परीक्षा 27--(1) प्रति वर्ष या यदि राजय सरकार किसी मामले में ऐसा निदेश दे तो उससे कम अवधि में भी ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, लेखा की परीक्षा करायी
जाएगी।
(2) ऐसी लेखा परीक्षा राज्य सरकार द्वारा या उसके निदेश के अधीन नियुक्त
लेखा परीक्षकों द्वारा की जायगी।
(3) ऐसे लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक और लेखा परीक्षा का व्यय मन्दिर निधि से
राज्य सरकार के द्वारा वसूल किया जायगा।
(4) मन्दिर के कार्यो के प्रशासन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा
कि वे लेखा परीक्षकों के समक्ष ऐसे सभी लेखा, अभिलेख और दस्तावेज प्रस्तुत करें या करायें और उनकी ऐसी सभी सूचनाएं प्रस्तुत करें जो अपेक्षित हों, और उनकों ऐसी
सभी सहायता और सुविधाएं प्रदान करें जो लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक हों।
(5) लेखा परीक्षा को पूरा करने के पश्चात् लेखा परीक्षक एक आख्या जिसमें ऐसे
विवरण होंगे जो विहित किए जाय, मुख्य कार्यपालक अधिकारी को प्रेषित करेगा और
ऐसी आख्या की प्रति राज्य सरकार को भी प्रेषित करेगा।
(6) लेखा परीक्षाक के द्वारा इंगित त्रुटियों और अनियतितताओं को इस निमित्त
विनिर्दिष्ट समय के भीतर ठीक किया जायगा और उसकी आख्या राज्य सरकार को
प्रस्तुत की जायगी।

RTI Act 2005 – Proactive Disclsoures June 5, 2006 Page - 32

न्जजंत च्तंकमेी क्ींतउंतजी ज्ञंतलं टपइींह अधिभार 28--(1) यदि धारा 27 की उपधारा (6) के अधीन प्राप्त अनुपालन आख्या पर विचार करने के पश्चात्, और ऐसी जांच करने के पश्चात् जो आवश्यक हो, राज्य

सरकार का विचार है कि हन्यास परिषद् के किसी सदस्य ने या किसी अन्य व्यक्ति ने कोई
अवैध, अनियमित या अनुचित व्यय किया है या उपेक्षा या दुराचार से मन्दिर के धन या
अन्य सम्पत्ति की हानि की है या उसे बरबाद किया है तो वह न्यास परिषद् के ऐसे सदस्य
को या सम्बन्धित अन्य व्यक्ति को नोटिस जारी कर सकती है कि वह कारण दर्शित करे
कि उसके विरूद्ध अधिभार का आदेश क्यों न पारित किया जाय और उसके स्पष्टीकरण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् आदेश द्वारा, इस प्रकार व्यय की गई धनराशि को या इस प्रकार हानि पहुंचाई गई या बरबाद की गई सम्पत्ति की धनराशि या मूल्य को प्रमाणित कर सकती है और निदेश दे सकती है कि ऐसी धनराशि की वसूली उससे व्यक्तिगत रूप से की जाय।
(2) उपधारा (1) के अधीन न्यास परिषद् के सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध
पारित अधिभार के आदेश से लेखा या किसी अन्य विषय के लिए जिसका निस्तारण ऐसे आदेश द्वारा अन्तिम रूप से नहीं किया गया है, बाद संस्थित करने में रूकावट नहीं होगी।
(3) अधिभार की धनराशि को इस प्रकार वसूल किया जा सकता है मानो वह
भू-राजस्व का बकाया हो।

29--(1) राजय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई स्थवर सम्पत्ति मन्दिर सम्पत्ति के
लिए और उसकी और से अर्जित नहीं की जायगी और मन्दिर की या उसके किसी अर्जन या प्रयोजन के लिए विन्यस्त किसी स्थवर सम्पत्ति का अन्तरण नही किया जायगा। अन्तरण संबंधी उपबन्ध
(2) मन्दिर के कब्जा में किसी आभूषण या अन्य मूल्यवान सम्पत्ति या खराब न होने
वाली जंगम सम्पत्ति का अन्तरण न्यास परिषद की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया
जायगा, और यदि उस सम्पत्ति का मूल्य दस हजार रूपये से अधिक है तो राज्य सरकार
का पूर्वानुमोदन भी आवश्यक होगा।
(3) राज्य सरकार उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई स्वीकृति प्रदान तब
तक नहीं करेगी जब तक उसका यह विचार न हो कि सौदा मन्दिर के लिए आवश्यक या लाभदायक है और उसका प्रतिफल युक्तिसंगत और उचित है।
(4) स्थावर सम्पत्ति के अर्जन या अन्तरण के लिए कोई प्रस्ताव ऐसे प्रपत्र में और
ऐसे विवरण सहित प्रस्तुत किया जायगा जैसा विहित किया जाय।
(5) राजय सरकार अपना विनिश्चय ऐसे प्रस्ताव की प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के
भीतर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को संसूचित करेगी और यदि कोई विनिश्चय ऐसी अवधि
में संसूचित नहीं किया जाता है तो यह समझा जायगा कि प्रस्ताव स्वीकृति कर दिया गया
है।
30-- मन्दिर के लिए और उसकी और से कोई धन राज्य सरकार की पूर्व धन उधार लेने स्वीकृति के बिना किसी व्यक्ति से उधार नहीं लिया जायगा। पर निर्बन्धन

31-- इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के संविदा
अधीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी मन्दिर के लिए और उसकी और से सभी

RTI Act 2005 – Proactive Disclsoures June 5, 2006 Page - 33

न्जजंत च्तंकमेी क्ींतउंतजी ज्ञंतलं टपइींह संविदाओं को निष्पादित और हस्ताक्षरित करेगा और सभी क्रय करेगाः

परन्तु किसी कार्य के निष्पादन या कोई आपूर्ति करने के लिए संविदा के प्रसंग मंे
जिसकी धनराशि या मूल्य दस हजार रूपये से अधिक हो, राज्य सरकार की पूर्व
स्वीकृति आवश्यक होगी।
अध्याय-- पांच
निरीक्षण
निरीक्षण कराए 32--(1) राज्य सरकार को मन्दिर के प्रशासन और वित्त से सम्बन्धित किसी
जाने के बारे विषय के बारे में निरीक्षण या जॉच, ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसे वह उचित समझे,
राज्य सरकार कराने का अधिकार होगा।
की शक्ति
(2) यदि राज्य सरकार विनिश्चय करे कि उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या
जॉच कराई जाय तो वह न्यास परिषद् का सूचना देगी और न्यास परिषद् के द्वारा
नाम-निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को ऐसे निरीक्षण या जॉच के समय उपस्थित रहने और
तदैव सुने जाने का अधिकार होगा।
(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच कराने के नियुक्त व्यक्ति को सिविल न्यायालय की समस्त शक्ति प्राप्त होगी जो उसे सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 के अधीन वाद का परीक्षण करते समय शपथपूर्वक साक्ष्य लेने, और साक्षियों की उपस्थिति बाध्य करने और दस्तावेजों और भौतिक पदार्थो की प्रस्तुतीकरण के लिए विवश करने के प्रयोजनार्थ प्राप्त है।
(4) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम को ऐसे निर्देशों सहित जो
वह उचित समझे, न्यास परिषद को संसूचित करेगी।
(5) न्यास परिषद उपधारा (4) के अधीन दिए गए निदेशों का अनुपालन
करेगी और ऐसे समय में जिसे राज्य सरकार नियत करे, उसे इस निमित्त कृत
कार्यवाही की आख्या प्रस्तुत करेगी।

निदेश देने की 33--राज्य सरकार इस अधिनियम से उत्पन्न होने वाले या सम्बन्धित विषयों के
शक्ति बारे में ऐसे निदेश दे सकती है जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबन्धों के उपबन्धों से असंगत न हों और जिन्हें वह उचित समझे और ऐसे
निदेशों का अनुपालन करना न्यास परिषद् का कर्तव्य होगा।

अध्याय--छः
शास्ति
मंदिर संपत्ति 34-- जो कोई धारा 13 की उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या
का कब्जा लिए इस अधिनियम के अधीन न्यास परिषद या मुख्य कार्यपालक अधिकारी के द्वारा या जाने में प्रतिरोध प्राधिकार के अधीन कब्जा लिए जाने में साशय प्रतिरोध या अवरोध उत्पन्न करता है, या अवरोध के या कराता है, वह कारावास से, जो एक वर्ष तक हो सकता है या जुर्माना से, या दोनों लिए दण्ड से, दण्डनीय होगा।

न्यास परिषद 35-- जो कोई धारा 15 के खण्ड (ग) के अधीन दिए गए किसी निदेश का
RTI Act 2005 – Proactive Disclsoures June 5, 2006 Page - 34

न्जजंत च्तंकमेी क्ींतउंतजी ज्ञंतलं टपइींह के कतिपय उल्लंघन करता है, वह कारावास से, जो छः मास तक हो सकता है, या जुर्माना से जो निदेशों के एक हजार रूपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा।
उल्लंघन के
लिए दण्ड

अध्याय- सात
प्रकीर्ण
36--न्यास परिषद् या कार्यपालक समिति के सदस्य, मुख्य कार्यपालक मन्दिर के कर्मचारी अधिकारी और मन्दिर का कम्रचारी जब इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए लोक सेवक होंगे गए नियमों के उपबन्धों के अधीन कार्य कर रहा हो या कार्य करने का अभिप्राय
रखता हो, भारतीय दण्ड संहिता की धारा-21 के अर्थ में लोक सबक समझा
जायेगा।
37--(1) न्यास परिषद प्रतिवर्ष राज्य सरकार को मन्दिर के कार्यो के प्रशासन आख्या प्रशासन के बारे में आख्या ऐसे समय पर प्रस्तुत करेगी जो राज्य सरकार
अवधारित करे।
(2) इस धारा के अधीन तैयार की गई आख्या विहित रीति से प्रकाशित की जायगी
और यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी।
38--न्यास परिषद या न्यास परिषद् कार्यपालक समिति के किसी सदस्य या कुछ मामलों में मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मन्दिर के कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन दायित्व से छूट या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन सद्भावना पूर्वक किए गए या
करने का अभिप्राय रखने वाली किसी बात के लिए नहीं लाया जायगा या लायी
जाएगी।
39--राज्य सरकार मंन्दिर के कार्य से सम्बन्धित किसी मामले का अभिलेख अभिलेख मंगाने मंगा सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और यदि सन्तुष्ट हो कि न्यास की राज्य सरकार परिषद्, कार्यपालक समिति, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मंन्दिर के किसी की शक्ति कर्मचारी का कोई आदेश या विनिश्चय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए
नियमों के उपबन्धों के अनुसार नहीं है तो ऐसा आदेश दे सकती है जिसे वह
उचित समझे।
40-- सभी लोक अधिकारी जिनकी अभिरक्षा में मन्दिर सम्बन्धी कोई लोक अधिकारी अभिलेख रजिस्टर, आख्या या अन्य दस्तावेज या उसकी कोई जंगम या स्थावर द्वारा प्रतिलिपि समति हो, न्यास परिषद् या कार्यपालक समिति या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उद्धरण द्वारा यथा अपेक्षित प्रतिलिपि या उद्धरण देगें। दिया जाना

41--(1) इस अधिनियम के अधीन किसी सम्पत्ति, दृव्य, मूल्यवान वस्तु, तलाशी और आभूषण, अभिलेख, दस्तावेज या भौतिक पदार्थ का कब्जा लेने के दौरान मुख्य अभिग्रहण कार्यपालक अधिकारी को किसी परिसर में, किसी युक्तिसंगत समय पर प्रवेश
करने और उसकी तलाशी लेने या लिवाने की शक्ति होगी।
(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तलाशी और अभिग्रहण सम्बन्धी उपबन्ध
यथावश्यक परिवर्तन सहित इस अधिनियम के अधीन ली जाने वाली तलाशी और
अभिग्रहण पर लागू होंगे।
42-- नियत दिनांक के ठीक पूर्व मन्दिर ओर उसे विन्यास की या उसके वर्तमान सम्पत्ति

RTI Act 2005 – Proactive Disclsoures June 5, 2006 Page - 35

न्जजंत च्तंकमेी क्ींतउंतजी ज्ञंतलं टपइींह अंगीभूत समस्त सम्पत्ति और अस्तियों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया का उपयोग जाता रहेगा जिसके लिए उनका उपयोग किया जा रहा था या ऐसे दिनांक को
या उसके पश्चात् उपयोग किए जाने का आशय था।

अपवाद 43-- इस अधिनियम की किसी बात से केाई व्यक्ति किसी सक्षम
अधिकारितायुक्त न्यायालय में किसी अधिकार को जिसका दावा वह कर रहा हो,
स्थापित करने के लिये कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही करने से प्रवारित नहीं
होगा।

कठिनाई दूर 44-- यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई
करने की उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के
शक्ति भीतर, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकती है जो इस अधिनियम के
उपबन्धों से असंगत न हो और कठिनाई दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन
प्रतीत हों।

नियम बनाने 45-- राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को
की शक्ति कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

विनियम बनाने 46-- इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धें के
की शक्ति अधीन रहते हुये, न्यास परिषद अपने कार्याे के संचालन से संबंधित किसी विषय के
लिये या किसी अन्य विषय के लिये जिसके विनियम बनाये जा सकते हैं, इस
अधिनियम के अधीन विनियम बना सकती है।

निरसन और 47--(1) उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मन्दिर (तृतीय) अध्यादेश, 1983 अपवाद
एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उ0प्र0अध्यादेश (2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन स0
20 सन् कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी 1983
जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

गंगा बख्श सिंह;
सचिव।

RTI Act 2005 – Proactive Disclsoures June 5, 2006 Page - 36